न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2016/00050
राजस्व वाद संख्या – 159/2016

1. नीता अग्रवाल पत्नी श्री मोहन लाल अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी प्लाट नं0 179/180 बी, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

– – – **वादीया**

बनाम

1. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र मिश्रा, जाति मिश्रा ब्राह्मण, निवासी मकान संख्या 3071, सौंकिया की गली, भिण्डों का रास्ता, तीसरा चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. श्रीमति इन्दू देवी धर्मपत्नी श्री देवेन्द्र मिश्रा, जाति मिश्रा ब्राह्मण, निवासी मकान संख्या 3071, सौंकिया की गली, भिण्डों का रास्ता, तीसरा चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर।
3. श्रीमति अर्चना देवी पत्नी श्री अरविन्द मिश्रा, जाति मिश्रा ब्राह्मण, निवासी मकान संख्या 3071, सौंकिया की गली, भिण्डों का रास्ता, तीसरा चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. सरिता देवी पत्नी श्री रवि मिश्रा, जाति मिश्रा ब्राह्मण, निवासी मकान संख्या 3071, सौंकिया की गली, भिण्डों का रास्ता, तीसरा चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

5. श्रीमति रजनी गर्ग पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश गर्ग, निवासी मकान नम्बर 179/180 बी, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

– – – **प्रोफार्मा** प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :–** 28.02.2025

संक्षेप्त में वादी/वादी अधिवक्ता द्वारा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम ढण्ढ, पटवार क्षेत्र ढण्ढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 0.01 हैं०, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.47 हैं०, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर की काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के अनुसार वादीया एवं प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/2 दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष एक वाद बाबत् भूमि विभाजन पेश किया जो अन्तरित होने पर न्यायालय सहायक कलक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर द्वारा दिनांक 06/05/2015 डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध वादीया एवं प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 5 ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की। उक्त अपील अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16/9/2015 को खारिज की गई। जिसके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224 के तहत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश की जो विचाराधीन हैं। निर्णय एवं डिक्री के आधार

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

पर नामान्तकरण संख्या 458 दिनांक 05/01/2016 स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल किया गया, बाद विभाजन वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में दर्ज खसरा नम्बर 5, 6, 7/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज की गई, तथा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में खसरा नम्बर 7 रकबा 0.93 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा मौके पर भूमि विवादग्रस्त पर पुख्ता तामीरात, बाउण्ड्रीवाल कार्य शुरू कर दिया हैं। मौके पर बिल्डिग मैटेरियल का सामान प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 द्वारा डाला गया हैं। जबकि भूमि विवादग्रस्त का मौके पर आज दिन तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुताबिक विभाजन कब्जा नही संभलाया हैं, और ना ही नाप जोख की गई हैं। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा येनकेन प्रकारेण भूमि विवादग्रस्त पर चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्माण करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य के विरूद्ध वादीया को माननीय न्यायालय के समक्ष आकर प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही हैं। ऐसी स्थिति में वादीया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारिणी हैं कि भूमि विवादग्रस्त पर बिना मौके पर भौतिक कब्जा व नाप जोख सीमांकन किये किसी तरह का कोई निर्माण, पुख्ता तामीरात आदि करने से प्रतिबंधित रहें। प्रतिवादीगण को उक्त गैर कानूनी कृत्य करने से वादीया द्वारा दिनांक 17/6/2016 को मौके पर प्रतिवादीगण के साथ मौजूद मजदूरों, कारीगरों को वादीया द्वारा मना किया उस समय प्रतिवादीगण नही माने तथा भूमि वादग्रस्त पर जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू हो गयें। वादीया न्यायप्रिय एवं न्याय में विश्वास करने वाली महिला है जिसकी खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर पुख्ता तामीरात का निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो वादीया को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, तथा वादीया अपनी खातेदारी की उक्त भूमि से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। वादीया कानूनन अधिकारी है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित कराये कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि पर बिना भौतिक कब्जा व सीमांकन, नाप–जोख किये जबरन ताकत के बल पर नाजायज कब्जा कर किसी प्रकार का कोई निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, मकान आदि ना तो स्वयं करे, और ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन आदि से करवायें। वादकारण दिनांक 17/6/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीया की खातेदारी की भूमि पर निर्माण कार्य करने के आशय से बिल्डिंग मेटेरियल का सामान डालकर निर्माण करने एवं वादीया द्वारा मना करने पर निर्माण कार्य बंद नही करने के कारण वादीया को वादकरण उत्पन्न हुआ, जो निरन्तर जारी हैं। विवादित भूमि ग्राम ढण्ढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढण्ढ तहसील आमेर में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होनें से माननीय न्यायालय हाजा को यह वाद श्रवण एंव निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिकी किया जावें :–

(अ)– स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम ढण्ढ, पटवार क्षेत्र ढण्ढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 0.01 हैं०, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.47 हैं०, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर के बाद विभाजन बने हाल खसरा नम्बर 5, 6, 7, 7/1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

प्रतिबिन्धत करवाये कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा संभलाये एवं नाप जोख किये बिना उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, खड्डे नही खोदे, बाउण्ड्रीवाल नही बनाये, मकान का निर्माण नही करें, माल मेटेरियल नही डाले एवं वादीया के अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत नही करें। मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण की गयी। प्रतिवादीसंख्या 05 प्रोफार्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मद संख्या 01 में अंकितानुसार ग्राम ढण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर में ख0न0 4, 5, 6, 7 का जमाबंदी संख्या 2068 से 71 अनुरूप वादीया तथा प्रारूपि प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/2 तथा मिन उत्तरदातागण का हिस्सा 1/2 दर्ज होना स्वीकार है। भूमि विवादग्रस्त में मिन उत्तरदाता ने मूल खातेदार झुथाराम पुत्र श्री छोटू से उसका हिस्सा 1/2 का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2005 को क्रय कर उसके सहखातेदार की सहमति से मनबंटानुसार क्रय दिनांक से खसरा नं0 07 पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 जो कि पश्चातवर्ती क्रेता ने दिनांक 03.08.2005 को पंजीकृत विक्रय पत्र में तफसील जायदाद अनुरूप जोजोबो फार्म से लगते हुए पश्चिमी दिशा में उत्तरी रोड पर क्रय दिनांक से काबिज है। इस प्रकार वादीया तथा प्रतिवादीगण मौके पर प्रारम्भ से ही अपनी–अपनी हद कब्जे में रहे है तथा उसी अनुरूप रिकार्ड जमाबंदी से अंकन है और मिनउत्तरदातागण अपने अधिकार व कब्जे की भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने को स्वतंत्र है। वादीया कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। वाद इबारत डिफेक्टी होने से एवं वादीया द्वारा अपने वाद में दर्शाये गये तथ्यों के समर्थन में जो अभिवचनों का सत्यापन किया गया है वह आदेश 6 नियम 15 जा.दी. के प्रावधानों के अनुकुल नही किया गया है, बल्कि प्रतिकूल करने के कारण वादीया का वाद चलने योग्य न होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने जानबुझकर सही तथ्यों को माननीय न्यायालय से छुपाते हुये असत्य एवं बैबुनियाद तथ्यों के आधार पर हाजा वादपत्र सप्रेशन ऑफ मैटिरियल फैक्टस के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया ही सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादीया ने अपने वादपत्र के मद संख्या 2 में स्वयं की सिद्धान्त स्वीकार किया है कि प्रस्तुत विवादक विषय हेतु मिन उत्तरदाता का वाद बाबत विभाजन एवं निषेधाज्ञा को डिक्री किया जाकर वादीया की अपील दिनांक 06.09.2015 को अपील न्यायालय से खारिज हो चुकी है तथा बजर्ये नामान्तकरण संख्या 458 रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल हो चुका है। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः विवादत विषय विनिश्चित किये जाने के पश्चत पुनः विनिश्चित नही किया जा सकता है। वादीया का वाद धारा 11 सीपीसी से वादित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीया तथा प्रोफार्मा प्रतिवादीसंख्या 5 मिन उत्तरदाता के पश्चातवर्ती क्रेता है जिनके पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 03.08.2005 में दर्ज तफसील जायदाद पेज संख्या 5 इस प्रकार है– यह कि उक्त विक्रेता सम्पत्ति का कब्जा पश्चिम दिशा में जोजोबा फार्म से लगती हुई अर्थात पश्चिम उत्तर कोने के उक्त क्रेत्रीगणों का आज गवाहों के समक्ष सौंप दिया है जिसके उत्तर दिशा में आम रास्ता, आम रफत, मौरम रोड स्थित है। ऐसी अवस्थामें वादीया का कोई परमाफैंसी केस न है, न हो सकता है। वाद वादीया मय हर्जा खर्चा खास खारिज योग्य है। वादीया ने यह वाद मिन उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है, जो सरासर रूप से निरस्तनीया है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीया मय हर्जा खर्चा खास खारिज फरमाया जावें।

BSW
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

हमने पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वकील वादी की बहस का गहन अध्ययन कर पाया कि मूलवाद स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, दस्तावेज पेश नही किया गया जिसके द्वारा यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कब्जे–काश्त, सीमाओं पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभावित किया हो या जबरन बेदखल कर कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया हो। सहखातेदार–काश्तकार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही समझते। अतः वादी के वाद को वादहैतुक(**Cause of Action**) के अभाव में खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 28.02.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

Bsw

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर